

Mail

!! कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर !!

क्रमांक : स्था./67/2026/24661

दिनांक : 11/5/26

:: आ दे श ::

I

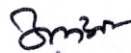
निम्नांकित कर्मचारीगण के सामने कॉलम संख्या-4 में अंकित न्यायालय में की गयी प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था को प्रशासनिक आधार पर तुरन्त प्रभाव से समाप्त किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी मय पद	मूल पदस्थापन न्यायालय	प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था न्यायालय
1	2	3	4
1	श्री गिर्राज प्रसाद मीणा, आशुलिपिक ग्रेड प्रथम	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-6, अलवर	औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय, अलवर
2	श्री नरेश कुमार शर्मा, रीडर ग्रेड प्रथम	पोक्सो न्यायालय संख्या-2, अलवर	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-4, अलवर
3	सुश्री भावना चौहान, लिपिक ग्रेड द्वितीय	अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-3, अलवर	अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-5, अलवर

II

निम्नांकित कर्मचारीगण का स्थानान्तरण/पदस्थापन, प्रशासनिक आधार पर तुरन्त प्रभाव से निम्न प्रकार किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	वर्तमान पद व न्यायालय	नवीन पद व न्यायालय	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	श्री नरेश कुमार शर्मा	रीडर ग्रेड प्रथम पोक्सो न्यायालय संख्या-2, अलवर	रीडर ग्रेड प्रथम अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-4, अलवर	रिक्त पद पर
2	श्री अभिषेक भगवती	लिपिक ग्रेड द्वितीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2, अलवर	लिपिक ग्रेड द्वितीय अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-3, अलवर	सुश्री भावना चौहान के स्थान पर
3	सुश्री भावना चौहान	लिपिक ग्रेड द्वितीय अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-3, अलवर	लिपिक ग्रेड द्वितीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2, अलवर	श्री अभिषेक भगवती के स्थान पर


जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अलवर (राज०)

III

निम्नांकित कर्मचारीगण को प्रशासनिक कार्यव्यवस्था के तहत तुरन्त प्रभाव से आगामी आदेश तक कार्य करने हेतु निम्न प्रकार लगाया जाता है :-

क. सं.	नाम कर्मचारी मय पद	मूल पदस्थापन न्यायालय	कार्यव्यवस्था न्यायालय
1	2	3	4
1	श्री गिर्राज प्रसाद मीणा, आशुलिपिक ग्रेड प्रथम	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-6, अलवर	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट केसेज) संख्या-2, अलवर
2	श्री अभिषेक भगवती, लिपिक ग्रेड द्वितीय	अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-3, अलवर	अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-5, अलवर

नोट :-

- 1- कार्यालय आदेशों की पालना 03 कार्य दिवसों में आवश्यक रूप से की जाये।
- 2- आदेश कम-I में अंकित कर्मचारी की पूर्व प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था न्यायालय से प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था समाप्त कर, सीधे ही आदेश कम- III में अंकित न्यायालय में कार्यव्यवस्था में लगाये जाने से कर्मचारी को पूर्व प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था कार्यालय से औपचारिक रूप से कार्यभार मुक्त कर सीधे ही कार्यव्यवस्था कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जावे।
- 3- कर्मचारियों की कार्यमुक्ति आदेश व उपस्थिति रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार इस कार्यालय को भिजवाई जावे।

sd/-
(अनन्त भण्डारी)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अ ल व र

कमांक : स्था./2026/24662-680

दिनांक : 11/09/26

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. न्यायाधीश, आद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय, अलवर
2. विशिष्ट न्यायाधीश, पोक्सो न्यायालय सं. 2, अलवर
3. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 4 अलवर/सं. 6 अलवर
4. अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 3 अलवर/सं. 5 अलवर/
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2 अलवर
6. विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट केसेज) सं. 2, अलवर
7. संबंधित कर्मचारी/व्यक्तिगत पत्रावली/लेखाशाखा/रक्षित पत्रावली
8. सिस्टम ऑफिसर को जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सम्बंधित न्यायालयों को ई-मेल करने हेतु।

sd/-
(अनन्त भण्डारी)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अ ल व र